न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —15/2015—यूआईटी अपील (RCMS/2015/00036)
पंजीयन दिनांक —10.11.2015
निर्णय दिनांक —26.02.2019

1. श्री पी॰विधिलिंगम पिल्लै पिता श्री परमशिवम पिल्लै, 64—एन, भैरवाय नगर, बेड़वास, उदयपुर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर जरिये तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री सम्पतलाल बोहरा — वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत — वकील रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 81/2014 दिनांक 27.10.2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 26.02.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 91—ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 81/2014 दिनांक 27.10.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

नगर विकास प्रन्यास के पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बेड़वास के आराजी न. 2011 किस्म पड़त द्वितीय को मौका देखा गया। मौके पर उक्त आराजी के लगभग 40 बाई 50 यानि 2000 वर्गफीट पर कृषि भूमि पर बिना सेटबैक छोडे श्री

पी.विधिलिंगम पिल्लै द्वारा जी+1 का निर्माण पूर्व में कराया गया एवं उक्त निर्मित मकान के पीछे से 10 से 12 फीट चौड़ा नाला आ रहा था जो कि इस मकान से होकर गुजरना प्रतीत होता है जिसे अवरूद्ध कर मौके पर घुमा दिया गया। सड़के के सहारे जिससे नाले का प्राकृतिक बहाव अवरूद्ध होगा। श्री पिल्लै द्वारा कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये एवं बिना न्यास की स्वीकृति के जी+1 का निर्माण कर रखा है। उक्त निर्माण न्यास अधिनियम–1959 की धारा–91ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वंश योग्य होने से प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा उक्त अवैध निर्माण को 07 दिवस में स्वतः हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के हटाये जाने का निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थिति जिनकी बहस दिनांक 05.02.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट के अपनी बहस में बताया कि मौजा बेड़वास में स्थित आराजी नम्बर 2011 का अपीलान्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट के पास तो आराजी नम्बर 2005 का भाग है, आराजी नम्बर 2011 तो शिकायतकर्ता के पास है। अपीलान्ट को आराजी नम्बर 2011 के सम्बन्ध में गलत नोटिस दिया गया है तथा आ. न. 2011 से अपीलान्ट को बेदखल करने का गलत आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट आराजी नम्बर 2005 के भाग पर 40 बाई 50 फीट यानि 2000 वर्गफीट पर कब्जा होकर मालिक काबिज है। उस पर 2007 से फैक्ट्री लगी होकर चालु अवस्था में है। उस पा अपीलान्ट ने शेड व कमरों का निर्माण कार्य करा रखा है, जिसका शिकायतकर्ता से कोई दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। मौजा बेड़वास की आराजी नम्बर 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2018, 2019, 2020 पर विपक्षी व अन्य व्यक्तिओं के कब्जे होकर प्लॉट कटे हुए है। करीब 60–70 व्यक्तियों ने अपने अपने हिस्से के खातेदारी प्लॉट पर निर्माण कार्य कर छोटे मोटे उद्योग लगा रखे है, यानि पूरी कॉलोनी बनी हुई है, उसका नाम हस्तिनापुर है। उक्त भूमि की 90बी कराने बाबत सभी कॉलोनीवासियों द्वारा यूआईटी में आवेदन कर रखा है जो पेडिंग है। अन्य लोगों द्वारा बनाये गये मकानों हेतु किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जनसुनवाई के दौरान जिला कलक्टर द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को नकार दिया गया था वहा अपीलान्ट भी उपस्थित था, उसे बताया गया कि उसे आने की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यकता नहीं है। परन्तु नये तहसीलदार आने पर कथित पत्रावली पर गलत आदेश दिनांक 27.10.2015 को पारित कर दिया गया। सारी भूमि कृषि भूमि है, अभी तक आबादी में कन्वर्ट नहीं हुई, कॉलोनी बस चुकी है, कोई भी निर्माण कार्य यू.आई.टी. की स्वीकृति से नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को अन्तर्गत धारा–91ए यू.आई. टी. एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट के अधिकार तहसीलदार को डेलीगेट नहीं किये जा सकते है। इस कारण तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा दिया गया आदेश बिना अधिकार के होकर एबइनिश्योवोइड हैं। शिकायतकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय में गलत वाद पेश कर दिया है, जब तक विवादित सम्पत्ति का सक्षम न्यायालय में दावा पेंडिंग हे तथा उसमें नगर विकास प्रन्यास भी पक्षकार है, ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय के आदेश से दोनों पक्ष पाबन्द रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह कार्यवाही ड्रोप फरमायी जानी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व ग्राम बेड़वास के आराजी न. 2011 किस्म पड़त द्वितीय को मौका देखा गया। मौके पर उक्त आराजी के लगभग 40 बाई 50 यानि 2000 वर्गफीट पर कृषि भूमि पर बिना सेटबैक छोडे श्री पी. विधिलिंगम पिल्लै द्वारा जी+1 का निर्माण पूर्व में कराया गया एवं उक्त निर्मित मकान के पीछे से 10 से 12 फीट चौड़ा नाला आ रहा था जो कि इस मकान से होकर गुजरना प्रतीत होता है जिसे अवरूद्ध कर मौके पर घुमा दिया गया। सड़के के सहारे जिससे नाले का प्राकृतिक बहाव अवरूद्ध होगा। श्री पिल्लै द्वारा कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये एवं बिना न्यास की स्वीकृति के जी+1 का निर्माण कर रखा है। उक्त निर्माण न्यास अधिनियम–1959 की धारा–91ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वंश योग्य है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित कर दी गई समय सीमा उपरान्त उसे ध्वस्त किये जाने के निर्देश दिये, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से यह ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम बेड़वास के आराजी नम्बर 2011 किस्म पड़त द्वितीय पर अपीलार्थी द्वारा 40 x 50 यानि 2000 वर्गफीट पर कृषि भूमि पर बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रूपान्तरण करावे एवं नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से सक्षम स्वीकृति लिये बिना अवैध निर्माण किया गया और बिना अनुमति व्यवसायिक उपयोग किया गया जा रहा है। सम्बन्धित पटवारी न्यास द्वारा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट न्यास में प्रस्तुत की गई। जिस पर अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय दिनांक 27.10.2015 पारित किया गया। प्रश्नगत अपीलीय प्रक्रिया के दौरान अपीलान्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा निर्णय विधिसम्मत पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर का निर्णय दिनांक 27.10.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official